

राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अ- प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- I- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वाणिज्यिक वर्ष 2009-2010; एवं
- II- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य वित्त वर्ष 2009-2010.

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन

- 1- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।
- 2- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

- (1) श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2010-2011 समिति के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम एवं सप्तम प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

(2) श्री भगराज चौधरी, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

“यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।”

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 से संबंधित अनुदान की मांगों पर मुखबन्द एवं मतदान

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 से संबंधित अनुदान की शेष रही मांगों मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

6. विधायी कार्य

(अ) विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग(संख्या-2)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-5)

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।
- (IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान वित्त विधेयक, 2011

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान वित्त विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-6)

"वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011

- (I) श्री राजेन्द्र पारीक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की
सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-7)

"राजस्थान राज्य में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिये तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहने की दशा में उपयोग में लाई जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिये, विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता देने के लिये तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(3) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्वर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-13)
- "राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(4) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री गुरमीत सिंह कुन्वर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-14)
- "राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(5) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) मास्टर भंवरलाल मेघवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-
राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था(संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-11)
- "राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(6) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-1)

“राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।”

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(7) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध(संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान राजवित्तीय
उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध
(संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-2)

"राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(8) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान भूमि सुधार तथा
जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-3)

"राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(9) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान अभिधृति (संशोधन)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-9)

"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(10) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

- (I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन)
विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 मार्च, 2011